संख्या-13/2018/481/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 28 मार्च,2018**

समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सं0-1961-62/स.क./विकास/08/सब प्लान-गोण्डा/2017-18 दिनांक 04 जनवरी,2018 एवं पत्रांक सं0-2241-42/स.क./विकास/48/सब प्लान-गोण्डा/2017-18 दिनांक 06 फरवरी,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-नवाबगंज,बजीरगंज, मनकापुर तथा मुजेहना के निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंकित 20 ग्रामों में पिच रोड,सी.सी.रोड, इण्टर लाकिंग तथा रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्यो की कुल लागत रू0 1255.85 लाख (रू0 बारह करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 313.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	वर्ष 2017-18 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6
गोण्डा	नवाबगंज	गैरिया	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	87.75	21.94
		बैजलपुर	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	**48.25**	**12.06**
		हरिबंशपुर	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	**71.23**	**17.81**
		नगवा	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	**65.38**	**16.35**
		बहादुरा	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	**103.60**	**25.90**
		रेहली	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	**52.98**	**13.25**
		योग-1		**429.19**	**107.31**
	बजीरगंज	माथेपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	33.87	8.47
		उदयपुर ग्रण्ट	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	109.71	27.43
		खिरिया	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	96.69	24.17
		मोहनपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	60.34	15.09
		गनेशपुर ग्रण्ट	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	69.62	17.41
		योग-2		**370.23**	**92.57**
	मनकापुर	पण्डितपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	**47.76**	**11.94**
		बेरीपुर रामनाथ	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	**43.75**	**10.90**
		महोवा गोपाल	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	**54.73**	**13.68**
		विशुनपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	**51.62**	**12.91**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	मनकापुर	वीरेपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	**50.07**	**12.52**
		अम्बरपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	120.33	30.08
		हरसिहवां चौहान	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	14.34	3.59
		भिटौरा	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग निर्माण कार्य।	18.00	4.50
		योग-3		**400.60**	**100.12**
	मुजेहना	**बेल्हरी**	**इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण**	**55.83**	**13.00**
		योग-4		**55.83**	**13.00**
		कुल योग (1+2+3+4)		**1255.85**	**313.00**

(रू0 तीन करोड़ तेरह लाख मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गोण्डा को योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गोण्डा द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कराकर धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
6. जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) से कार्य कराया जायेगा, जिसे पी0डब्ल्यू0 डी0 शासनादेश के प्राविधानानुसार व्यय देय होगा।
7. स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।
8. स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि भी सहित) जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गोण्डा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत स्वीकृत कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र संबंधित से प्राप्त होने पर एवं इन कराये गये कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु गठित तीन सदस्यीय समिति से वांछित जांच आख्या प्राप्त होने पर अगली किश्त जारी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

घटक योजना) के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-13/2018/481 (1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, गोण्डा।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोण्डा।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोण्डा।
6- अधिशासी अभियन्ता, यू.पी. सिडको जनपद गोण्डा।
7- प्रबन्ध निदेशक,यू.पी. सिडको, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in